BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 09 अप्रैल 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास करने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र रमेश चंद्र निवासी नगला धारकपुर थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में अपने पिता रमेश चंद्र को जान से मारने की नियत से उनके पेट में छुरा मारकर गंभीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 22.04.2022 को थाना रामघाट पर मुअसं- 23/22 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 31.05.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 09.04.2025 को न्यायाधीश श्री विनीत चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजेंद्र उपरोक्त को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर